



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 02/2018 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2018/00051

कमलेश पत्नि श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए तहसील  
अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

**बनाम**

1. अमरचन्द तथाकथित दत्तक पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए  
तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांत  
श्री राजेश बैद अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं.1


**निर्णय**

दिनांक 20.09.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के  
अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.12.  
2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- विवादित कृषि भूमि चक 79 जी.बी. के पत्थर संख्या 298/432 में 12  
बीघा खातेदारी भूमि बुधा देवी के नाम से दर्ज हैं। वादगत भूमि बाबत अपीलांत  
ने तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयतनामें के आधार  
पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर आदेश पारित करते हुए  
तहसीलदार अनूपगढ़ ने वादगत भूमि का इंतकाल अपीलांत के पक्ष में कर दिया।


संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



तहसीलदार अनूपगढ़ के उक्त आदेश 07.10.2016 के विरुद्ध रैस्पोंडेंट संख्या 1 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 14.12.2017 पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को रिमाण्ड कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि चक 79 जी.बी. के पत्थर संख्या 298/432 की 12 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि बुधा देवी पत्नि हेमाराम के नाम दर्ज है। बुधा देवी ने वादगत भूमि की वसीयत अपीलांत के हक में कर दी। तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा विवादित भूमि का इंतकाल अपीलांत के नाम दर्ज हो गया। तहसीलदार अनूपगढ़ ने प्रकरण में पूर्ण जांच करते हुए आदेश पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने निर्णय दिनांक 14.12.2017 पारित करते हुए अपीलाधीन इंतकाल खारिज कर दिया और पत्रावली तहसीलदार अनूपगढ़ को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का उक्त आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में कतई नहीं आता। अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश जारी करने का कोई वैध कारण भी नहीं बताया गया हैं। रैस्पोंडेंट संख्या 1 को अधिनस्थ न्यायालय में अपील करने की कोई लॉकसस्टेण्डाई नहीं थी। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया, जो काबिले खारिज हैं। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी को वसीयत से आपत्ति है तो वह सिविल न्यायालय में चैलेंज कर सकता हैं। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।


3- विद्वान अभिभाषकगण रैस्पोंडेंट संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांत का पति श्री कृष्णलाल हेमाराम का पुत्र नहीं है। हेमाराम के वारिस के तौर पर उक्त विवादित भूमि पत्नि बुधा देवी के नाम दर्ज थी। बुधा देवी के कोई संतान नहीं थी। बुधा देवी ने वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा

  
समाप्ति आयुक्त  
बीकानेर

दिनांक 11.02.2003 रेसपोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दी। बुधा देवी पति हेमाराम की सेवा चाकरी मृत्यु दिनांक 05.09.2004 तक रेसपोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर रेसपोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है। अपीलांत द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई वसीयत फर्जी एवं कूटरचित हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ ने तथाकथित वसीयत की सत्यता एवं उसके निष्पादन की गहनता से जांच किये बिना ही इंतकाल अपीलांत के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार अनूपगढ़ ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 07.10.2016 पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

4- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं किया। अतः अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि तहसीलदार अनूपगढ़ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृतक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5- तदानुसार अपील अपीलांत निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. नीरज के. पवन)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर